

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)
 अनवान
 धनश्याम सारस्वत निवासी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
 बर्नाम
 लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा
 प्रकरण संख्या :- 17/2024
 जीसीएमएस नं. :- 2024/35

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.03.2024	<p>1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 27.12.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोंडेंट अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2023/20043 दिनांक 22.03.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 20040 दिनांक 20.03.2024 से अपीलार्थी/प्राथी को उपलब्ध करवा दी गई है।</p> <p>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</p> <p>7. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा प्राथी के आवेदन पत्र का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियत समयावधि में निस्तारण नहीं किया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न की जावे और आपको प्राप्त आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करें।</p> <p>5. निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली शुमार फैसल हो कर नम्बर से कम हो बाद जाबा दाखिल दफतर हो।</p>	<p>—: निर्णय :—</p>

(नमित मेहता)
 प्रथम अपीलीय अधिकारी
 लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा